न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 199 / 2015
दायर दिनांक : 09 / 09 / 2015
निर्णय दिनांक : 06 / 02 / 2025

उनवान

1. छोगालाल पिता चौखा माली निवासी आकोला तहसील कपासन

वादी

बनाम

1. किशनलाल पिता गोकल माली निवासी आकोला तहसील कपासन
2. मु.रोड़ीबाई विधवा गोकल माली निवासी आकोला तहसील कपासन
3. रामा उर्फ बाबू पिता छगू माली निवासी आकोला – मृतक के बजाय
   3/1 रघुनाथ पिता रामा माली निवासी आकोला तहसील कपासन
   3/2 मु. शांतिबाई बेवा रामा माली निवासी आकोला तहसील कपासन
   3/3 नानूराम पिता रामा माली निवासी आकोला तहसील कपासन
   3/4 प्रकाश पिता रामा माली निवासी आकोला तहसील कपासन
   3/5 राजू पिता रामा माली निवासी आकोला तहसील कपासन

प्रतिवादी

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री बालेन्दु कोठारी, अधिवक्ता वादी

: निर्णय :

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत् इश्तकरार हक, इन्द्राज दुरुस्ती, खातेदारी अधिकार की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा–88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है :

यह है कि मौजा आकोला तहसील कपासन में साबिक पैमाईश की आ.सं. 2814 रकबा 8 बिस्वा स्थित थी जो राजस्व रिकार्ड में गोकल, रामा पिता छगू माली निवासी आकोला के खातेदारी व कब्जे में थी। उक्त आराजी में से गोकल माली ने वादी को 1/8 हिस्सा (1 बिस्वा) भूखण्ड दिनांक 08.03.1976 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र तादादी रूपया दो हजार में विक्रय कर कब्जा सौंप दिया तथा वादी ने उसके बाद इसको चारदिवारी व मकानात आदि बनाये व काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। उक्त क्रयशुदा भूखण्ड के पडौस निम्न हैं : पूर्व दला माली का बाड़ा, पश्चिम लक्ष्मीलाल दुगड की जमीन जो गोपाल सुखववाल को बेची, उत्तर लक्ष्मीलाल दुगड की जमीन, दक्षिण भूपालसागर कीर की चौकी सड़क मार्ग। उक्त आराजी सं. 2814 दो भागों में विभक्त थी तथा उत्तर दिशा में वादी का उक्त क्रयशुदा भूखण्ड था व इसके दक्षिण दिशा में इसी आराजी में से सड़क मार्ग निकला है व इसके दक्षिण दिशा में इसी आराजी का शेष भूखण्ड है। वादी के इस क्रयशुदा भूखण्ड का हाल पैमायश में आ.सं. 3034 रकबा 0.02 है, बने हैं तथा दक्षिण दिशा में सड़क मार्ग के बाद इस आराजी के शेष भूखण्ड के आ.सं. 5026 रकबा 0.05 है [illegible] आराजी क्रय करते समय वादी कम उम्र का व अनपढ होने से राजस्व रिकार्ड की जानकारी नहीं [illegible] हाल में पटवारीजी से पता चला कि उक्त आराजी अभी भी गोकल के मर जाने से उसके वारिस प्रतिवादी [illegible]2 के व प्रतिवादी सं. 3 के नाम पर ही दर्ज है और वादी के नाम पर दर्ज नहीं हुई है व वादी को पटवारीजी ने इन्द्राज दुरुस्ती का दावा करने हेतु कहा, अतः दावा पेश कर रहा हूं तथा प्रतिवादीगण आराजी नाम भूमि दर्ज रहने का नाजायज फायदा उठाकर विक्रय व अन्तरण की व दस्तअन्दाजी की धमकी देते हैं अतः इन्द्राज दुरुस्ती किया जाना तथा निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। गलत इन्द्राज की जानकारी व दखलअन्दाजी की धमकी प्रतिवादीगण ने दिनांक 10.02.11 को दी अतः बिनाय दावा दि. 10.02.11 को पैदा हुई है। अतः वादी की प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की घोषणा किए जाने की डिक्री प्रदान की

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.10 11:39:45 IST
Reason: SelfAttested

जावे कि मौजा आकोला की आ.सं. 3934 रकबा 0.02 है, वादी के खातेदारी व कब्जे की है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम पर जो इन्द्राज है वह गलत है अतः उसको दुरूस्त किया जाकर उनके स्थान पर वादी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार अंकित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जावे कि वह वादी के उक्त आराजी के उपयोग उपभोग में कोई बाधा नहीं डाले व किसी प्रकार की दस्तन्दाजी नहीं करें व जैरबहस जमीन को विक्रय रहन या अन्तरित नहीं करे तथा ऐसा अपने नौकर, एजेन्ट, परिजनों से भी नहीं करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जवाब दिनांक 18.03.2021 को जवाब बंद किया गया। वकील वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 का प्रार्थना पत्र दिनांक 14.06.2012 को स्वीकार कर संशोधित उनवान कायम किये गये। प्रतिवादी सं. 3/4 व 3/5 की ओर से वकील श्री हरीश तुलछिया ने अधिकार पर व आदेश 32 नियम 3 का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर वकील उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र दिनांक 19.12.2024 को अस्वीकार किया गया। प्रतिवादीगण का जवाब पूर्व में बद हो जाने से तनकीयात कायम नहीं की गई।

वादीगण की ओर से साक्ष्य वादी में शपथ पत्र श्री छोगालाल पिता चौखा माली पी.डब्ल्यू.1, श्री भगवानलाल पिता जयराम माली पी.डब्ल्यू.2 एवं श्री मदनलाल पिता गोवर्धन टेलर पी.डब्ल्यू. 3 के पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबन्दी सम्वत 2036–2039 प्रदर्श 1, बहनामा प्रदर्श 2, जमाबंदी आधार वर्ष 2052 प्रदर्श 3, जमाबंदी सम्वत 2064–67 प्रदर्श 4, जमाबंदी सम्वत 2064–67 प्रदर्श 5, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 6, नक्शा सम्वत 2012 व सन 1956 प्रदर्श 7 व नक्शा सन् 1984 प्रदर्श 8 प्रदर्श कराये गये।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में वर्णित तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्य सामग्री दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वकील वादी की बहस पर मनन किया। वादीगण द्वारा वाद के संलग्न दस्तावेजों से वादर्णित आराजियात, वादीगण के शपथ–पत्र, उक्त दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के शपथ–पत्र व वकील वादी की बहस के आधार पर वादीगण वादवर्णित तथ्यों को साबित कराने में समर्थ रहने से वाद अंर्तगत धारा–88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। मौजा आकोला की आ.सं. 3934 रकबा 0.02 है, वादी के खातेदारी व कब्जे की है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम पर जो इन्द्राज है वह गलत है अतः उसको दुरूस्त किया जाकर उनके स्थान पर वादी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार अंकित किया जावे। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.10 11:39:45 IST
Reason: SelfAttested